न्यायालय उप ज़िला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

मुकदमा नंबर 135/2008 प्रार्थना पत्र 136एल0आर0एक्ट तारीख रजू 16–07–2008

उनवान

1–सुभाषसिंह पुत्र अम्बिका सिंह जाति राजपूत निवासी करमोदा तहसील व जिला स0माधोपुर –प्रार्थी

बनाम

1– तहसीलदार, लैण्ड होल्डर सवाई माधोपुर
2–श्योपाल पुत्र नाथू जाति मीणा निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3–ओमप्रकाश पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4–बुद्धिप्रकाश पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5–प्रेमराज पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6–सुरेश पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7–मथुरा बेवा गोपाल जाति मीणा निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8–हवलदार सिंह पुत्र अम्बिकासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम करमोदा तहसील व जिला स0माधोपुर – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक : 19 – 06 –2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम करमोदा का रहनेवाला काश्तकारी पेश व्यक्ति है । अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 भी प्रार्थी के पडोसी काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 710/1रकबा 1बीघा 3 विस्वा भूमि ग्राम करमोदा में स्थित है जिसका चकबंदी से पूर्व बंटवारा होकर नामान्तकरण संख्या 679 दर्ज किया गया था तथा नक्शा शीट में तरमीम कर खसरा नंबर 710/1 का अंकन कर दिया गया था । यह है कि चकबंदी से पूर्व बंटवारा कर नक्शाशीट में तरमीम कर मौके पर सीमा बांधी गई थी ,उसी स्थान पर प्रार्थी आज भी काबिज चला आ रहा है ।चकबंदी कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी व उसके भाई हवलदारसिंह पुत्र अम्बिका का खाता सम्मिलित दर्ज कर दिया गया है जबकि उनका पूर्व में तकास्मा हो चुका है । यह है कि खसरा नंबर 1595/2130 रकबा 0.08है0 मौके पर प्रार्थी के खेत में है ,परन्तु चकबंदी कर्मचारियों ने भूलवश उक्त खसरा नंबर अप्रार्थीगण नंबर 2लगायत 7 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है । यह है कि खसरा नंबर 1596 रकबा 0.16है0, 1595/2130 रकबा 0.08है0 तथा खसरा नंबर 1597 रकबा 0.09है0 में से 0.05है 0.29है0 ग्राम करमोदा प्रार्थी की खातेदारी में अलग से दर्ज किये जावें तथा खसरा नंबर 1595/2130 रकबा 0.08है0 अप्रार्थीगण नंबर 2लगायत 7 की खातेदारी से हटाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । मुताबिक आदेशिका अप्रार्थी संख्या 2लगायत 7 के वकील उपस्थित । अप्रार्थी सं0 8 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 8–2–12 के अनुसार अप्रार्थीगण सं0 2लगायत 7 की ओर से जवाब पस्तुत नही होने

:भू0अ0/136/2017/948 दिनांक 7–2–18 द्वारा अंकित किया है कि जमाबंदी सम्वत 2041–44 के अनुसार खाता संख्या 222 में खसरा 710 रकबा 2बीघा 6 विस्वा भूमि हवलदारसिंह ,सुभाषसिंह पिता अम्बिका सिंह जाति राजपूत निवासी करमोदा की खातेदारी में दर्ज है तथा जिसका नामान्तकरण संख्या 679 द्वारा बंटवारा होकर प्रार्थी सुभाषसिंह के नाम खसरा नंबर 710/1 रकबा 1बीघा 3 विस्वा व उनके भाई हवलदार सिंह के नाम खसरा नंबर 710/2 रकबा 1बीघा 3 विस्वा दर्ज राजस्व रिकार्ड हो रही है। वर्तमान में मुताबिक तुलनात्मक क्षेत्रफल खें0नंबर 710 रकबा 2बीघा 6विस्वा के नवीन खसरा नंबर 1592 रकबा 0.01है0, खसरा नंबर 1593 रकबा 0.25है0, खसरा नंबर 1596 रकबा 0.16है0, खसरा नंबर 1597 रकबा 0.09है0 , खसरा नंबर 1598 रकबा 0.01है0, खसरा नंबर 1599 रकबा 0.01है0, खसरा नंबर 1600 रकबा 0.05 है0 किता 7 कुल रकबा 0.58रकबा बने है । जो हवलदार सिंह ,सुभाषसिंह पिता अम्बिकासिंह राजपूत के नाम खतोनी बंदोबस्त में दर्ज है तथा उक्त आराजी वर्तमान जमाबंदी में भी इन्ही के नाम दर्ज रिकार्ड है जो गत के मुकाबले पूरी है ।

यह है कि पूर्व में हुये तकासमे के नामान्तकरण संख्या 679 का भूप्रबन्ध विभाग द्वारा प्राप्त नवीन रिकार्ड का अमल नही है । यह है कि खसरा नंबर 1595/2130 रकबा 0.08है0 के खतोनी बंदोबस्त अनुसार साबिक खसरा 713/5411 से बना है तथा वर्तमान में श्योपाल पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 ,ओमप्रकाश ,बुद्धिप्रकाश , प्रेमराज, सुरेश , प्रकाश पिता गोपाल मु0 मथुरा बवा गोपाल हि 1/2 मीना के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नबंर 1595/2130 पर सुभाषसिंह पुत्र अम्बिका सिंह का कब्जा है व आवंले के पेड लग रहे है । खसरा नंबर 1595/2130 का वादी के पूर्व खसरा नंबर 710 से कोई संबंध नही है ।

हमने प्रार्थना पत्र से संबंधित उभयपक्ष के वकुलाय द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जमाबंदी सम्वत 2041–44 खाता संख्या 222 में अंकित खसरा नबर 710 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा की खातेदारी संयुक्त रूप से हवलदारसिंह , सुभाषसिंह पिता अम्बिका सिंह राजपूत के नाम दर्ज हो रही है । जो जरिये नामान्तकरण संख्या 679 के द्वारा खसरा नंबर 710/1 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा सुभाषसिंह पुत्र अम्बिका सिंह के नाम स्वीकार हुई है । तथा खसरा नंबर 710/2 रकबा 1बीघा 3 विस्वा हवलदार सिंह पुत्र अम्बिका सिंह के नाम स्वीकार होकर विभाजन किया गया है । जमाबंदी सम्वत 2061–64 के खाते संख्या 390 के अनुसार उक्त खसरा नंबरान के नवीन खसरा नंबर जो भूप्रबन्ध की कार्यवाही के बाद बनाये गये है । उसमें खतोनी संख्या 390के खसरा नंबर 1592, 1593, 1596, 1597, 1598, 1599 व 1600 हवलदार सिंह , सुभाषसिंह पिता अम्बिकासिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है जबकि भूप्रबन्ध से पूर्व से ही साबिक खसरा नंबर 710 वाके ग्राम करमोदा का दोनो भाईयो के बीच नामान्तकरण संख्या 679के अनुसार विभाजन हो चुका है ।

इस प्रकार भूप्रबन्ध कार्यवाही के बाद उक्त नामान्तकरण संख्या 679 का अमल नवीन जमाबंदी में नही किया जाकर वापस जमाबंदी सम्वत 2061–64 के खाता संख्या 390 के अनुसार वापस नवीन खसरा नबर हवलदारसिंह ,सुभाषसिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि साबिक खसरा नंबर 710 वाके ग्राम करमोदा का नामान्तकरण संख्या 679 का अमल नवीन जमाबंदी में करते हुये हवलदार सिंह , सुभाषसिंह की पृथक–पृथक खातेदारी नवीन खसरा नंबरान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें तथा पूर्व के खसरा नंबर 710 वाके ग्राम करमोदा की दोनो भाईयों के नाम बराबर–बराबर विभाजित भूमि के अनुसार नवीन खसरा नंबरान दर्ज करें तथा पूर्व के नक्शा ट्रेस में हुऐ विभाजन के अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम करें ।

निर्णय आज दिनांक 19 –06–2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर ,नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 15:23:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: